न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 71/2022 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूसिंह पिता भूरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शम्भूसिंह पिता भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता नवलराम जी, जाति कलाल, निवासी ग्राम मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोपीलाल पिता नवलराम जी, जाति कलाल, निवासी ग्राम मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. भंवरलाल पिता नवलराम जी, जाति कलाल, निवासी ग्राम मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दि0 15–12–2021 प्रकरण संख्या 74/21

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्रीमती रेखा तलेसरा अभिभाषक रे.सं. 1

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 25–04–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट सं[illegible] से 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

कर निवेदन किया कि मौजा पालछा में खाता संख्या 228 की आराजी नंबर 1267, 1275, 1276, 1277, 1278/1 कुल किता 5 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि स्थित है। मौजा मजावद में वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1278 रकबा 0.0450 हैक्टर स्थित, जिस पर वादीगण काबिज है तथा चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है, किन्तु कुछ माह से वादीगण को पारिवारिक कारणों से उदयपुर में निवास करना पड़ रहा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो आपस में पिता पुत्र हैं, ने नाजायज फायदा उठाकर जबरन कब्जा कर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 15–12–2021 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–11–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रेखा तलेसरा उपस्थित हुई, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किये गये तथा उन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को प्रथम बार दिनांक 19–09–2022 को नकल प्राप्त होने से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील लगभग 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि इन्हें शुरू से ही जानकारी थी। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में हो चुकी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में दिनांक 25–08–2021 को दिनांक 22–09–2021 की पेशी नियत की, किन्तु पत्रावली दिनांक 22–09–2021 को पेश नहीं होकर सीधे ही दिनांक 15–12–2021 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण को नोटिस दिये बिना एवं सुने बिना रेस्पोन्डेन्टगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

से अपीलान्टगण का कोई सरोकार नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद स्वीकार कर अपीलान्टगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25–08–2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को प्रकरण में दिनांक 22–09–2021 की पेशी नियत की, किन्तु दिनांक 22–09–2021 की कोई आदेशिका ही पत्रावली पर नहीं है एवं पत्रावली सीधे ही दिनांक 15–12–2021 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 15–12–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–06–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested